कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कमांकः–शिविरा–मा/मा/अ–3/फीस का विनिमय/2016–17/2017 दिनांकः– 10.11.17

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा–प्रथम/द्वितीय

....

विषयः– राजस्थान विद्यालय (फीस का विनिमय) अधिनियम 2016 नियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार निजी विद्यालयों द्वारा फीस निर्धारण के संबंध में।

प्रसंगः– पूर्व समसंख्यक पत्र दिनांक 29.05.17 एवं 06.11.2017 के कम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान विद्यालय (फीस का विनिभय) अधिनियम 2016 दिनांक 01 जुलाई 2016 से लागू किया गया तथा राजस्थान विद्यालय (फीस का विनिमय) नियम, 2017 दिनांक 14 फरवरी 2017 से लागू किये गये हैं।

अधिनियम की धारा–4 (ख) के अनुसार विद्यालय के मुखिया द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के आरम्भ के 30 दिवस के भीतर–भीतर माता–पिता अध्यापक संगम का गठन किया जाना है। अधिनियम की धारा 4 ग के अनुसार माता–पिता अध्यापक संगम का गठन हो जाने के पश्चात विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन किया जायेगा। अधिनियम की धारा–6 (2) के अनुसार विद्यालय स्तरीय फीस समिति के गठन पर प्रबंध आगामी शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ से कम से कम 6 माह पूर्व प्रस्तावित फीस विद्यालय स्तरीय फीस समिति को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा। अधिनियम की धारा–6(4) में वर्णित प्रावधान के अनुसार विद्यालय स्तरीय फीस समिति द्वारा प्रस्तावित फीस का अनुमोदन किया जायेगा।

सभी निजी विद्यालयों में उक्त एक्ट के अनुसार माता–पिता एवं अभिभावक संगम गठित करते हुए विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन लाटरी से कर उक्त फीस समिति द्वारा फीस का निर्धारण कर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करते हुए, जिला शिक्षा अधिकारी को प्रति उपलब्ध करानी है एवं प्राईवेट स्कूल पोर्टल पर अपलोड करनी है। इस कम में कार्यालय स्तर से आपको दिनांक 29.05.2017 एवं 06.11.17 के द्वारा निर्देश जारी कर एक्शेल शीट में समस्त विद्यालयों की सूचना भी चाही गई जो आज दिनांक तक अपेक्षित है।

ऐसा ध्यान में आया है कि उक्त अधिनियम की पालना संबंधित विद्यालयों द्वारा संपादित नहीं की जा रही है। आगामी सत्र से छः माह पूर्व इसकी पालना सुनिश्चित की जानी है परन्तु अभी तक इस कम में कार्यवाही सम्पादित नहीं करने की स्थिति में विद्यालय की मान्यता समाप्ति हेतु कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में संचालित समस्त निजी विद्यालयों को इस हेतु पाबन्द करें एवं दिनांक 06.11.17 के पत्र द्वारा वांछित सूचना एकत्रित कर कार्यालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करावें। इस कम में लापरवाही की स्थिति में उत्पन्न विपरीत स्थिति के लिये आप व्यक्तिगत उत्तरदायी होंगे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

प्रतिलिपिः–

1. समस्त उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा..........को प्रेषित कर पाबन्द किया जाता है कि राज्य में संचालित समस्त निजी विद्यालयों द्वारा इस अधिनियम की पालना सुनिश्चित करवाने हेतु संबंधितों को पाबन्द करावें एवं व्यक्तिगत रूप से इस कार्य की मोनेटरिंग कर तत्काल सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
2. राज्य समन्वंयक पी.एस.पी. पोर्टल सेण्ट्रल सेल शिक्षा संकुल जयपुर को प्रेषित कर पाबन्द किया जाता है कि समस्त विद्यालयों के पोर्टल पर उक्त पत्र का अपलोड करें ।
3. सभी सचिव/संस्था प्रधान गैर–सरकारी विद्यालय को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु माध्यम राज्य समन्वयक पी.एस.पी. पोर्टल सेण्ट्रल सेल शिक्षा संकुल जयपुर ।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर